तार : केविसंग / Gram :Kevisang

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक- २, गया
(शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार)
ओ.टी.ए पहाड़पुर कैंट गया
गया: 823005(बिहार)
वेबसाइट:no2gaya.kvs.ac.in
ई-मेल: kvno2_asccentre@yahoo.com,kv2gaya@gmail.com

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA NO-2, GAYA
(Ministory of Edu. Dept of School Edu.& Literacy, Govt. of India)
O.T.A PAHARPUR CANTT, GAYA
Tel :0631-2950545 KV Code:1822
School No.:69004 Affilition No.:300008

निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के साथ सत्र 2025-26 में विद्यालय परिसर में कैंटीन चलाने का अनुमति प्रदान किया जाना है।

1. 01 सप्ताह के अन्दर वैध FSSAI प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. 01 सप्ताह के अन्दर कैंटीन स्टाफ का आधार कार्ड, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं फोटो कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
3. 01 सप्ताह के अन्दर GST प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. 01 सप्ताह के अन्दर Rs.1000/- के नॉन-जुडिशल स्टाम्प के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर के लिए विद्यालय कार्यालय से संपर्क करना अनिवार्य होगा।
5. कैंटीन में सामान का दर लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा।
6. कैंटीन सञ्चालन के लिए 15 दिनों के अन्दर कैंटीन में अपना बिजली मीटर नहीं लगाने पर तथा बिजली बिल के लिए MES प्रशासन से संपर्क नहीं करने पर विद्यालय प्रशासन को किसी भी समय इस कार्य-आदेश को वापस लेने का अधिकार होगा।
7. कैंटीन का बिजली बिल का रसीद नियमानुसार MES में जमा करने के उपरांत प्रत्येक माह कार्यालय में समय से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. कैंटीन का किराया 500/- रूपये प्रति माह कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
9. कैंटीन में कोई भी अनाधिकृत सामान रखना अवैध माना जायेगा।
10. कैंटीन की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा।
11. कैंटीन में कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का अनुपालन अनिवार्य होगा।
12. कैंटीन में सामान का दर आपके द्वारा वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत कोटेशन से 15% कम रखना होगा एवं पैकेट बंद सामान MRP से ज्यादा दर पर बिक्री नहीं करेंगे।
13. विद्यालय कैंटीन समिति के सदस्य समय-समय पर कैंटीन का निरीक्षण करके साफ-सफाई तथा बिक्री के लिए उपलब्ध सामानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे तथा प्राचार्य को अवगत करायेंगे। उक्त निरीक्षण किसी भी समय किया जा सकता है जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा।
14. माननीय अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति के निर्देशानुसार OTA Supply Depot द्वारा उपलब्ध कराये गए सामानों (खाद्य पदार्थों) की बिक्री उनके भेंडर के द्वारा नियमित रूप से जारी रहेगी।
15. कैंटीन का समय सुबह 08:00 बजे से 04:00 बजे संध्या तक अथवा सक्षम अधिकारी के निर्देश के अनुसार खुलेगा।
16. कैंटीन में किसी भी प्रकार का अवैध पदार्थ/सामान पाए जाने पर आपके विरुद्ध विद्यालय प्रशासन के द्वारा नियमानुसार उचित कानूनी करवाई किया जायेगा साथ ही कैंटीन का अनुबंध बिना किसी पूर्व सूचना का रद्द कर दिया जायेगा।
17. इस कार्य-आदेश के क्रमांक से का अनुपालन 01 सप्ताह के अन्दर पूर्ण नहीं होने पर यह कार्यालय आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा।

प्राचार्य

प्राचार्य / Principal
पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्र०2 गया
PM Shri Kendriya Vidyalaya No.2 Gaya